

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर खण्डवा जिले के अंतर्गत वनमंडल खण्डवा के कोदवार 33 के व्ही. ट्रांसमिशन लाईन एवं पम्प हाऊस 01 एवं पम्प हाऊस 02 के निर्माण हेतु 5.700 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 नर्मदानगर, जिला-खण्डवा, मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: .10.2020

स्थान: भोपाल


(संजय मोहरीर)
पदेन सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग
(संजय मोहरीर)
पदेन सचिव, वन विभाग
मध्यप्रदेश शासन

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)